फा. सं. एफ.1/17(06)/2023- भ.III

संघ लोक सेवा आयोग

भ-III अनुभाग

पद का नाम	राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र, गाजियाबद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद की एक (01) रिक्ति (अ.जा.-01)
विज्ञापन सं.	**06/2023**
रिक्ति सं.	**23030601325**

महत्वपूर्ण अनुदेश

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघु सूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **26.03.2024** तक या उससे पहले (**sort3.upsc@nic.in**) पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा।। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तब ऐसे आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। तथापि, ऑनलाइन भर्ती आवेदन में दावा की गई आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव तथा वांछनीय अनुभव के संदर्भ में ही इन आवेदनों की जांच की जाएगी। तत्पश्चात्, संवीक्षा के संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अपनाए गए मापदंड	(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर और आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। (ii) आवेदनों की संवीक्षा, संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है। (iii) संवीक्षा के लिए, केवल उस शैक्षिक योग्यता / अनुभव पर विचार किया गया है जिसका दावा ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किया गया है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सहायक दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसी जानकारी का दावा

	किया है जो उन्हें उनकी अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में पद के लिए पात्र बनाने के लिए स्वीकार्य है और ऑनलाइन भर्ती आवेदन के संगत मॉड्यूल में इनके संदर्भ के बगैर संलग्न दस्तावेजों की जांच नहीं की गई है। (iv) चूंकि किसी भी आवेदक ने अपने आवेदन में प्रशासनिक अनुभव का दावा नहीं किया है। इस मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी आदि के रूप में अनुभव या किसी पर्यवेक्षक के पद के अनुभव पर प्रशासनिक अनुभव के रूप में विचार किया गया है, यहां तक कि अनुभव चाहे दो वर्ष से कम की अवधि का हो। (v) जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन भर्ती आवेदन के अनुभव संबंधी मॉड्यूल में अपने अनुभव का उल्लेख नहीं किया है परन्तु उन्होंने ऑनलाइन भर्ती आवेदन के विविध मॉड्यूल में इसका उल्लेख कर दिया है तो अपेक्षित समर्थक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाने पर उनके अनुभव पर विचार किया गया है। तथापि, आवेदन जिनमें, वे दस्तावेजों जो अ.य़ो. को धारण करने का उल्लेख करते हैं, प्रस्तुत किया गया है परंतु ऑनलाइन भर्ती आवेदन में कहीं पर भी इसका दावा नहीं किया गया है तो उन्हें एलईक्यू क या एलईक्यू-ख जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त मानदण्ड संख्या ii के आधार पर अस्वीकार किया गया है। (vi) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र संख्या एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर अपेक्षित सूचना उनके पास उपलब्ध होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। **(vii)** नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र और उम्मीदवारों द्वारा स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र पर अनुभव के प्रमाण के रूप में विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत

	अस्वीकार किया गया है। (viii) कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख किए बगैर प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया गया है और इसे 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। इसी प्रकार जिन उम्मीदवारों ने संगत क्षेत्र में अनुभव का दावा किया है परंतु इस संबंध में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की गई संपूर्ण अवधि का नहीं होने पर या किए गए दावे का समर्थन नहीं करते। केवल संगत अनुभव की उस अवधि पर विचार किया गया है जिसके लिए संगत/अपेक्षित अनुभव के संबंध में उल्लेख अनुभव प्रमाण-पत्र में किया गया है। (ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है। **नोटः- आयोग द्वारा मानदण्डों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।**

लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदण्ड	अ.जा.	**अ.यो. - (क) + अ.यो. - (ख) 50% तक छूट**
लघुसचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	**अनुक्रमांक**	05,06* **(02 उम्मीदवार)**

*छूट मानदण्ड के अनुसार लघुसूचीबद्ध किया गया।

<u>अस्वीकृतः</u>

लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अस्वीकृति की श्रेणी	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-ख	01, 03, 04, 07, 08, 10 **(06 उम्मीदवार)**
	<u>:अपूर्ण:</u>	
	कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं और अनुभव प्रमाण पत्र के बिना।	09, 11 **(02 उम्मीदवार)**
	अनुभव प्रमाण-पत्र दावों के साथ मेल नहीं खाता।	12 **(01 उम्मीदवार)**
	अनुभव प्रमाण-पत्र सुपाठ्य नहीं है और दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र जन्म की तारीख के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया।	02 **(01 उम्मीदवार)**

<u>नोटः</u> इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड किए गए हैं।

<u>संकेतकः</u>

एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता - ख में कमी

एनओडी - कार्यों का स्वरूप

ईसी - अनुभव प्रमाण-पत्र

परामर्शदाता/उप-सचिव (भर्ती-III)